न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/258

कान्ती बाई पुत्री श्री मांगीलाल जी जाति बलाई निवासी ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीबाई पुत्री बक्शू जी पत्नी श्री बिरधीलाल जी जाति बलाई निवासी पोलाई खुर्द हाल निवासी मण्डोला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. मनोहर बाई पुत्री श्री रामचन्द्र जी ।
3. राजू बाई पत्नी श्री मकरा जाति बलाई निवासीगण ग्राम पोलाई खुर्द तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी अपीलान्ट कान्ती बाई ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पोलाई खुर्द तहसील, दीगोद जिला, कोटा में खाता संख्या 08 की खसरा नम्बर 286 की 0.16 हैक्टर, खसरा नमरि 299 की 0.71 हैक्टर, खसरा नम्बर 310 की 0.21 हैक्टर, खसरा नम्बर 358 की 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 476 की 0.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 554 की 1.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 573 की 1.28 हैक्टर कुल 07 किता की 4.75 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी कम 2 से 4 के संयुक्त खाते की भूमि है । राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी व प्रतिवादी कम 2 से 4 के साथ ही धन्नी पुत्री रूपा का नाम भी दर्ज हो रहा है जो फौत हो चुकी है उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने योग्य है । उक्त भूमि प्रतिवादी कम 5 द्वारा गलत रूप से कान्ती बाई पुत्री बख्शू अंकित कर रखा है जबकि कान्ति बाई बख्शू की पुत्री न होकर पौत्री है तथा कान्ति बाई मांगीलाल की पुत्री है । धन्नी बाई का देहान्त हो चुका है और उसके वारिसान वादिनी एवं

प्रतिवादी क्रम 1 से 4 मौजूद हैं । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में से मृतक धन्नी बाई का नाम हटाया जाकर कान्ति बाई पुत्री मांगी लाल हिस्सा 1/3, मनोहर बाई पुत्री रामचन्द्र, डाली बाई बेवा रामचन्द्र हिस्सा 1/3 तथा राजू बाई पत्नी मकरा हिस्सा 1/3 दुरूस्त कर दर्ज रिकॉर्ड किया जावे । उक्त भूमि से मांगी बाई पत्नी बिरधी लाल प्रतिवादी क्रम 1 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है वह अनावश्यक ताकत के बल पर वादिनी के 1/3 हिस्से की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है । उक्त भूमि संयुक्त खाते की है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वादिनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि उक्त भूमि में वादिनी के पिता का नाम बख्शू के स्थान पर मांगीलाल अंकित किया जावे तथा मृतका धन्नी पुत्री रूपा का नाम खातेदारी से हटाया जावे और वादिनी को उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा का तथा प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी क्रम 4 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादिनी को उसके 1/3 हिस्से का पृथक से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिनी के 1/3 हिस्से की आराजी में वादिनी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत नहीं करें उक्त भूमि से वादिनी को बेदखल नहीं करें ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादिनी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादिनी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. इसी प्रकार एक अन्य वाद वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मांगी बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर वादिनी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों वादों को समेकित करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2009 के द्वारा वादिनी अपीलान्ट कान्ति बाई का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया तथा प्रतिवादी क्रम 1 मांगीबाई द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर पक्षकारान की बहस सुनकर प्रतिवादी क्रम 1 का काउन्टर क्लेम भी खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.07.2009 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 मांगी बाई ने न्यायालय हाजा में अपील पेश की जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 10.07.2013 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2013 की पालना में प्रकरण 09.10.2013 को पुनः दर्ज रजिस्टर किया ।

9. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 26.06.2015 पारित किया है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी थी । अपीलान्ट का लोक अदालत में अंगूठा लगवा कर भगा दिया । रेस्पोडेन्ट ने षडयंत्र रचकर स्वयं के नाम भूमि दर्ज करवाने की डिक्री प्राप्त कर ली । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

11. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दो दावे पेश किये गये थे दोनों दावों को समेकित किया गया । समेकित करने का आदेश दिनांक 23.05.2005 को पारित किया गया उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.07.2009 को निर्णय पारित किया गया । इस निर्णय के खिलाफ इस न्यायालय में अपील पेश हुई जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2017 को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए इसे लोक अदालत में रखा । लोक अदालत में बिना विधिक प्रकिया अपनाए और बिना सीपीसी की पालना किये निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 26.06.2015 के अनुसार लोक अदालत में सिर्फ कान्ति बाई और मांगी बाई उपस्थित हुई हैं न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही समस्त पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा मांगी बाई के द्वारा वाद संख्या 99/04 पेश किया था इस दावे की दिनांक 23.05.2005 की आदेशिका के अनुसार दावा संख्या 94/04 कांतिबाई बनाम मांगीबाई के साथ समेकित करते हुए 16.07.2009 को निर्णय पारित किया गया़ जिसकी अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई जिसमें न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 10.07.2013 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायलाय को रिमाण्ड कर दिया ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न आदेशिका दिनांक 09.10.2013 के अनुसार प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया और पत्रावली में संलग्न आदेशिका दिनांक 02.06.2015 के अनुसार दिनाक 26.06.2015 को लोक अदालत में रखा गया। लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही समस्त पक्षकारान के द्वारा हस्ताक्षरित विधिक राजीनामा पेश किया गया था । लोक अदालत में मात्र वादिनी एवं प्रतिवादी कम 1 उपस्थित हुए हैं प्रतिवादीगण कम 2 से 4 में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

15. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयाम कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा